फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थीगणः–
भगवान सिंह वगै.

बनाम

अप्रार्थीगणः–
मालम सिंह वगैरा

अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.टी.एक्ट.

प्रकरण संख्याः – 19 / 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13.02.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर बहस करते हुए बहस में ग्राम सुरपुरा पटवार हल्का सुरपुरा भू.अ. क्षेत्र जाजीवाल कलां के मूल खसरा सं. 145/1 रकबा 1.8332 हेक्टेयर एवं उसके तीन नए खसरे खसरा सं. 405/145, 404/145, एवं 403/145 के संबंध में ऑनलाईन राजस्व मानचित्र (नक्शा) में की गई तरमीम की पालना, प्रभाव एवं क्रियान्वयन को स्थगित किए जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से ग्राम सुरपुरा पटवार हल्का सुरपुरा भू.अ. क्षेत्र जाजीवाल कलां जोधपुर के मूल खसरा सं. 145/1 रकबा 1.8332 हेक्टेयर एवं उसके तीन नए खसरे खसरा सं. 405/145, 404/145, एवं 403/145 की भूमि में अप्रार्थीगण को इय आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह मौके व रेकर्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाए रखेंगे। अप्रार्थीगण को नोटिस रजि. डाक से जारी हो। अंतर्गत आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करना सुनिश्चित की जावे। पत्रावली आगामी दिनांक 16-3-26 को पेश हो। [signature] **सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)** उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	नोटिस प्रति प्राप्त कीये [signature] 17/02/26
5/3/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते शीघ्र सुनवाई। मिसल तलबी हेतु पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि पत्रावली आज ही पेशी पर ली जाए।	

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना वास्ते शीघ्र सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाता है। एवं पत्रावली आज ही पेशी पर पुनः ली गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत O23 R3 RW 151 CPC वास्ते राजस्व विविध प्रार्थना पत्र को प्रत्याहरित करने बाबत पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस राजस्व विविध प्रार्थना पत्र को इस अनुमति के साथ में प्रत्याहरित करने की अनुमति प्रदान की जाए कि यदि भविष्य में आवश्यक हुआ तो प्रार्थीगण तरमीम हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रार्थीगण स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए गए जिसकी पश्चात इनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि अब वो इस प्रकरण नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 CPC वास्ते प्रकरण को प्रत्याहरित करने बाबत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को यदि भविष्य में आवश्यक हुआ तो तरमीम हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए विड्रॉल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आवाजन/AC
2.8/11/25

पक्षकार
[illegible]
भावराम
रीडर